

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
बुधवार, 12 मार्च, 1997 / फाल्गुन 21, 1918 ॥शक॥

संख्या : 322

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त,
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 10.03.1997 का निम्नलिखित
संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा
के माननीय सदस्य श्री जय किशत एवं श्री अजय माकन को उनके
समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65
के अन्तर्गत पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण
आज अर्थात् दिनांक 10.3.97 को अपराह्न 12.59 बजे, संसद
मार्ग, नई दिल्ली से नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 10.3.97 को अपराह्न 1.05 बजे,
वहाँ से रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLTIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, March 12, 1997/Phalgun 21, 1918 (Saka)

No.322

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 10.03.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Jai Kishan and Shri Ajay Maken, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of police from Parliament Street in front of Police Station Parliament Street, New Delhi on 10.3.97 at 12.59 P.M.

They were released at 1.05 P.M. from the same place, the same day on 10.3.97."

P.N. GUPTA
SECRETARY